भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4613

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

बैंकिंग सेवाएं

4613. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से दाहोद जिले में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कारोबार में वृद्धि के कारण किसान और ग्रामीण असुविधाओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त दाहोद जिले के पीएसबी के उपभोक्ताओं की संख्या में प्रधान मंत्री जन-धन योजना, विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बैंकों की संख्या बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ड.): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी शाखा प्राधिकार नीति को युक्तियुक्त बनाया है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में आरबीआई से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना देश के किसी भी स्थान पर बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए साधारण अनुमति प्रदान कर दी है, जो कि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि एक वित्त वर्ष के दौरान खोली गई बैंकिंग आउटलेट की कुल संख्या का कम से कम 25% बैंकिंग रहित ग्रामीण केन्द्रों (टियर-5 और टियर-6 केन्द्र अर्थात् 10,000 से कम जनसंख्या वाले) में खोली जाएंगी। *इस प्रयोजन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम तथा भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में भी 50,000 से कम जनसंख्या वाले किसी भी केन्द्र में बैंकिंग आउटलेट खोलने को भी बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के समतुल्य माना जाता है।*

आरबीआई के द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की 2,488 ग्रामीण शाखाएं तथा 19,407 कारोबार प्रतिनिधि हैं।

राज्य स्तरीय बैंक समिति (एसएलबीसी), गुजरात के अनुसार, दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, दाहोद जिले में 111 बैंक शाखाएं तथा 225 कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

बैंकों के द्वारा सूचित किए गए अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के शुभारंभ से गुजरात में दाहोद जिले में पीएमजेडीवाई खाताधारकों की संख्या मार्च 2015 के 1.66 लाख से बढ़कर मार्च 2019 में 8.20 लाख हो गयी है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम के साथ अंतरपरिचालनीय बीसी की तैनाती करके बैंक शाखाओं के द्वारा प्रदान की गई बैंकिंग सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए भी पहल की गयी है।

आरबीआई के 3 जुलाई, 2017 तथा 18 मई, 2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) तथा जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) दोनों संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अंतर्गत अपने जिले में अतिरिक्त बैंकिंग आउटलेटों की आवश्यकता के संबंध में तत्संबंधित एसएलबीसी के समक्ष प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। बैंकों को बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों की पहचान करने और तत्पश्चात् आरबीआई के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु सूचना उपलब्ध कराने में एसएलबीसी की रचनात्मक और सक्रिय भूमिका होती है।

*****